रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247221
CG-DL-E-11072023-247221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ़ 20, 1945
No. 395]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई 2023

सा.का.नि. 494(अ).—सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार सरोगेसी (विनियमन) नियम 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है-

1. (1) इन नियमों को सरोगेसी (विनियम) संशोधन नियमावली 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में, अनुसूची 1 के भाग 1 में पैरा 2 की उप-धारा (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: –

"एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजी में एमसीएच/डीएनबी या एमएस जनरल सर्जरी या प्रजनन चिकित्सा में एफएनबी/एमसीएच/डीएम के साथ न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव और न्यूनतम 15 सर्जिकल शुक्राणु पुनर्प्राप्ति (अर्थात् पीईएसए /टीईएसए/टीईएसई/एमईएसए/माइक्रोटेसी प्रक्रियाएं) का व्यावहारिक अनुभवी होगा।"

[फा. सं. यू. 11019/15/2022 एचआर]

अनु नागर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 21 जून 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772 (अ), दिनांक 14 मार्च 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 179 (अ) और दिनांक 08 जून 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 415 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, sub-section (b) of Para 2 in Part 1 of Schedule 1 shall be substituted as under:-

"The Andrologist shall be MCh/DNB in urology or MS General Surgery or FNB/MCh/DM in reproductive medicine with minimum 2 years experience and having hands-on experience of minimum 15 surgical sperm retrieval (namely PESA / TESA / TESE / MESA / MICROTESE procedures)."

[F. No. U.11019/15/2022-HR]

ANU NAGAR, Jt. Secy.

Note : The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 460 (E) dated 21st June, 2022, and subsequently amended vide notification number vide G.S.R. 772 (E) dated 10th October, 2022, G.S.R. 179 (E) dated 14th March, 2023 and G.S.R. 415(E) dated 8th June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA